भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2080
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन औषधि केंद्र

2080. श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत स्थापित जन औषधि केंद्रों (जेएके) की राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जिला-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान पीएमबीजेपी के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई वर्ष-वार और राज्य-वार कुल धनराशि कितनी है;
(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में जेएकेएस द्वारा वर्ष-वार, राज्य-वार और जिला-वार रिपोर्ट की गई कुल बिक्री का मूल्य कितना है;
(घ) पीएमबीजेपी के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों (जेएके) को दिए गए प्रोत्साहनों और प्रोत्साहनों के लिए पात्र गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश सहित देश के अल्पसेवित जिलों और जनजातीय/ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमबीजेपी कवरेज का विस्तार करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत, दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार देश भर में कुल 17,610 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं, जिनमें से 277 जेएके आंध्र प्रदेश राज्य में खोले गए हैं। देश भर में खोले गए जेएके की राज्य-वार संख्या और आंध्र प्रदेश राज्य में खोले गए जेएके की जिला-वार संख्या अनुलग्नक-। में दी गई है।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत निधियां (करोड़ ₹)	उपयोग की गई निधियां (करोड़ ₹)
1.	2020-21	65.00	65.00
2.	2021-22	68.50	68.50
3.	2022-23	100.00	100.00
4.	2023-24	110.00	110.00
5.	2024-25	284.50	182.73

इस योजना के तहत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है।

(ग): देश भर में, पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान इस योजना के तहत कुल ₹6,290.23 करोड़ के एमआरपी मूल्य की बिक्री हुई है। राज्य-वार और वित्तीय वर्ष-वार एमआरपी मूल्य की बिक्री अनुलग्नक-II में दी गई है।

(घ): इस योजना के अंतर्गत, जेएके मालिकों को मासिक खरीद का 10% प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10,000 प्रति माह है। इसके अतिरिक्त, जेएके मालिकों को उच्च मांग वाले 200 उत्पादों का आवश्यक स्टॉक बनाए रखने के लिए ₹10,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। साथ ही, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीपीय क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में खोले गए जेएके और पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों सहित कुछ पात्र श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा खोले गए जेएके को सैटअप करने के लिए ₹2 लाख का एकमुश्त विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(ङ): इस योजना के दायरे को और अधिक विस्तारित करने के उद्देश्य से, सरकार ने मार्च 2027 तक 25,000 जेएके खोलने का लक्ष्य रखा है। जेएके व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर-सरकारी संगठनों, समितियों, ट्रस्टों, फर्मों, निजी कंपनियों आदि से आवेदन आमंत्रित करके खोले जाते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश के सभी जिलों से वेबसाइट www.janaushadhi.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

अनुलग्नक I

जन औषधि केंद्रों के संबंध में श्री बी.के. पार्थसारथी द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 12.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2080 के भाग (क) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में खोले गए जन औषधि केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	खोले गए जेएके की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	9
2	आंध्र प्रदेश	277
3	अरुणाचल प्रदेश	35
4	असम	175
5	बिहार	993
6	चंडीगढ़	19
7	छत्तीसगढ़	339
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	40
9	दिल्ली	573
10	गोवा	22
11	गुजरात	827
12	हरियाणा	463
13	हिमाचल प्रदेश	74
14	जम्मू और कश्मीर	348
15	झारखंड	164
16	कर्नाटक	1543
17	केरल	1685
18	लद्दाख	2
19	लक्षद्वीप	1
20	मध्य प्रदेश	597
21	महाराष्ट्र	723
22	मणिपुर	66
23	मेघालय	27
24	मिजोरम	16
25	नागालैंड	22
26	ओडिशा	788
27	पुदुचेरी	33
28	पंजाब	533
29	राजस्थान	599
30	सिक्किम	14
31	तमिलनाडु	1483
32	तेलंगाना	208
33	त्रिपुरा	33

34	उत्तर प्रदेश	3731
35	उत्तराखंड	336
36	पश्चिम बंगाल	812
	कुल	**17,610**

दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में खोले गए जेएके की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिला	जेएके की संख्या
1	अल्लूरी सीताराम राजू	3
2	अनकापल्ली	8
3	अनंतपुरमु	13
4	अन्नमय्या	7
5	बापतला	9
6	चित्तूर	12
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा	9
8	पूर्वी गोदावरी	14
9	एलुरु	11
10	गुंटूर	24
11	काकीनाडा	5
12	कृष्ण	8
13	कुरनूल	20
14	नांदयाल	6
15	एनटीआर	17
16	पलनाडू	11
17	पार्वतीपुरम मन्याम	3
18	प्रकाशम	16
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	6
20	श्री सत्य साईं	11
21	श्रीकाकुलम	9
22	तिरुपति	15
23	विशाखापत्तनम	10
24	विजयनगरम	8
25	पश्चिम गोदावरी	14
26	वाई.एस.आर कोडापा	8
कुल		**277**

अनुलग्नक II

जन औषधि केंद्रों के संबंध में श्री बी.के. पार्थसारथी द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 12.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2080 के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य-वार और वित्तीय वर्ष-वार बिक्री एमआरपी मूल्य पर (करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.02	0.05	0.06	0.01	0.0005
2	आंध्र प्रदेश	1.53	1.41	1.77	1.80	0.55
3	अरुणाचल प्रदेश	0.68	0.24	0.50	0.43	0.48
4	असम	3.32	4.77	5.08	5.36	0.98
5	बिहार	6.34	9.80	15.65	17.53	6.06
6	चंडीगढ़	17.63	3.96	9.79	16.37	22.16
7	छत्तीसगढ	8.35	18.43	40.98	96.59	196.08
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	0.010	0.0079	0.0009	0.0073
9	दिल्ली	26.51	24.77	33.38	43.93	57.96
10	गोवा	0.00	0.00	0.05	0.07	0.15
11	गुजरात	21.22	27.10	36.36	31.95	36.77
12	हरियाणा	3.71	3.63	4.87	4.05	1.30
13	हिमाचल प्रदेश	1.88	6.28	8.13	7.42	7.47
14	जम्मू और कश्मीर	14.51	22.52	41.08	52.00	61.95
15	झारखंड	14.79	36.56	69.50	90.38	142.40
16	कर्नाटक	148.56	164.94	184.08	173.45	222.85
17	केरल	107.49	160.83	182.00	189.67	264.37
18	लद्दाख	0.00	0.04	0.18	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	7.23	6.79	6.50	5.85	2.64
21	महाराष्ट्र	8.35	12.65	12.59	17.50	26.54
22	मणिपुर	0.55	4.14	8.27	6.87	9.53
23	मेघालय	0.13	1.54	1.58	1.62	0.99
24	मिजोरम	0.51	0.51	0.61	0.49	0.04
25	नागालैंड	0.29	0.32	0.59	0.84	0.15
26	ओडिशा	26.30	31.17	34.81	36.31	33.85
27	पुदुचेरी	0.03	0.15	0.26	0.17	0.01
28	पंजाब	42.83	49.97	57.00	65.49	68.29
29	राजस्थान	17.75	24.39	41.32	69.89	100.80
30	सिक्किम	0.00	0.001	0.00	0.00	0.04
31	तमिलनाडु	51.48	81.93	123.71	141.45	180.35
32	तेलंगाना	1.48	2.46	1.74	1.82	0.28
33	त्रिपुरा	1.87	2.53	2.85	3.17	1.96
34	उत्तर प्रदेश	87.66	128.22	198.95	233.22	309.91
35	उत्तराखंड	14.65	19.41	33.59	46.25	89.37
36	पश्चिम बंगाल	28.16	42.08	76.87	109.54	176.17

*****